मध्य प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग,
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 567 /2703626/2025/तैंतीस भोपाल,दिनांक 03 /04/2025

प्रति

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड
भोपाल।

विषय:- पर्यटन नीति 2025 की कंडिका 6.15 ''वाईल्ड लाइफ रिसोर्ट हेतु विशेष अनुदान'' के संबंध में पात्रता की शर्तो के निर्धारण बाबत।

--००--

उपरोक्त विषय में विभाग द्वारा की पर्यटन नीति- 2025 जारी की गई है। उक्त नीति की कंडिका 6.16 'वाईल्ड लाइफ रिसोर्ट हेतु विशेष अनुदान" की पात्रता की शर्ते निम्नानुसार निर्धारित की जाती है-

1. प्रदेश के अधिसूचित नेशनल पार्क, टाईगर रिजर्व (रातापानी टाइगर रिजर्व को छोड़कर) एवं अभ्यारण्य की सीमा से 20 किमी. की परिधि में स्थापित होने वाले रिसोर्टस को वन क्षेत्र की श्रेणी अनुसार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी। इस हेतु सम्बंधित वन क्षेत्र अधिकारी से प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाना होगा ।

2. रातापानी टाइगर रिजर्व की सीमा से 20 कि.मी. की परिधि में एवं नगरीय निकाय यथा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद तथा नगर पंचायत एवं निवेश क्षेत्र की सीमा से 05 कि.मी. बाहर स्थापित होने वाले रिसोर्टस को वन क्षेत्र की श्रेणी अनुसार पूंजीगत अनुदान की पात्रता होगी। इस हेतु सम्बंधित वन क्षेत्र अधिकारी से एवं सम्बंधित नगरीय निकाय से प्रमाणीकरण प्राप्त किया जाना होगा ।

2/4/25
(जगदीश कुमार गोमे)
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

Dir (T.P.)

Mgr (IJ)

म.प्र. टूरिज्म बोर्ड, भोपाल
आवक क्रमांक TB-1027
दिनांक 4/4/2025
7/4

L-2025-P-160

408 7/4